

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/7453-यू/2019/ दिनांक :

विभागीय जांच प्रमाण पत्र

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/(4124-IV)/2010/1765 दिनांक 18.10.2010 के द्वारा श्री सुरेश चन्द माथुर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी(से.नि.), राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर के विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित होने के आदेश जारी किये गये थे। निदेशालय के आदेश क्रमांक सीबी/एमएस/एफ-1271/2019/1035 दिनांक 11.06.2019 के द्वारा प्रकरण समाप्त (झाप) किया जा चुका है।

अतः प्रमाणित किया जाता है कि स्व0 श्री सुरेश चन्द माथुर, सहायक प्रशासनिक अधिकारी (से.नि.) के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं हैं।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/लंबित नहीं है।

Sr L
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/7453-यू/2019/1370

दिनांक : 03/07/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-अजमेर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय, ब्यावर, अजमेर।
4. प्रशासनिक अधिकारी, अराजपत्रित (सीबी) अनुभाग, मुख्यालय।
5. श्री सौरभ माथुर पुत्र स्व. श्री श्री सुरेश चन्द माथुर म.नं.-35, पुष्करगंज, गली नं.-1, ब्यावर, जिला-अजमेर को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

7
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर